फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोंडेन्ट
श्री नेमीचन्द जैन पुत्र श्री रायचन्द जैन जाति जैन निवासी जैन धर्मशाला के पास सिरोही रोड, जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा— अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 17 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
08.02.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 18.12.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत कालन्द्री द्वारा श्री प्रागचंद पुत्र श्री नोपाजी जैन निवासी कालन्द्री को जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 25.08.1985 व श्री धुवसिंह पुत्र श्री भोमसिंह राजपूत निवासी कालन्द्री को जारी पट्टा संख्या 56 दिनांक 31.10.1981 उक्त दानों पट्टों के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता श्री कपूरचंद पुत्र श्री कानाजी द्वारा निगरानी संख्या 07/2008 में कोई दस्तावेज पेश किया हो तो उसकी प्रमाणित प्रति एवं फॉर्म सख्या 3 की दो प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 18.12.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत कालन्द्री द्वारा श्री प्रागचंद पुत्र श्री नोपाजी जैन निवासी कालन्द्री को जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 25.08.1985 व श्री धुवसिंह पुत्र श्री भोमसिंह राजपूत निवासी कालन्द्री को जारी पट्टा संख्या 56 दिनांक 31.10.1981 उक्त दानों पट्टों के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता श्री कपूरचंद पुत्र श्री कानाजी द्वारा निगरानी संख्या 07/2008 में कोई दस्तावेज पेश किया हो तो उसकी प्रमाणित प्रति एवं फॉर्म सख्या 3 [illegible] सूचना उपलब्ध करवाई जावे। चूंकि लोक सूचना [illegible] जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 59 दिनांक 19.01.2021 को अपी[illegible] को जवाब दिया जा चुका है। अतः अपीलांट की अपील [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होक[illegible] से कम हो । (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.12 16:43:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner